	छत्तीसगढ़ विधान सभा
	पत्रक भाग - एक **संक्षिप्त कार्य विवरण**
	चतुर्थ विधान सभा सप्तम सत्र अंक-15

<u>रायपुर, सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 2016</u>

(चैत्र 1, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 08, 10 से 17, 19 एवं 21 (कुल 18) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 09, 18 एवं 20 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: सर्वश्री भोलाराम साहू, विद्यारतन भसीन, मनोज सिंह मंडावी अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 21 तारांकित एवं 49 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज सायंकाल 4.30 बजे से विधान सभा परिसर में होली मिलन कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास को आमंत्रित किया गया है और फाग गीत का कार्यक्रम भी होगा। मेरा समस्त माननीय सदस्यों को परिवार सहित, विधान सभा सचिवालय परिवार, राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों, पत्रकारों से अनुरोध है कि होली मिलन कार्यक्रम में सम्मिलित हों।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

1. श्री मोतीराम चन्द्रवंशी, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की

अपेक्षानुसार वर्ष 2015-16 के बजट की तृतीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा,

2. श्री मोतीराम चन्द्रवंशी, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार, छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा-19 के अंतर्गत पंद्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015,

3. श्री मोतीराम चन्द्रवंशी, संसदीय सचिव ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, अधिसूचना क्रमांक एफ 6-42/2012/12, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015,

4. श्री मोतीराम चन्द्रवंशी, संसदीय सचिव ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19/2015/12, दिनांक 22 दिसम्बर 2015 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्याय नियम, 2015,

5. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14,

6. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 (1 जुलाई, 2013 से 30 जून 2014) एवं वर्ष 2014- 15 (1 जुलाई, 2014 से 30 जून, 2015),

7. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का 51वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 (1 जुलाई, 2014 से 30 जून 2015), तथा

8. श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 24 सन् 2004) की धारा 31 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर का दशम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (1 जुलाई, 2014 से 30 जून, 2015), **पटल पर रखे।**

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री दीपक बैज, बघेल लखेश्वर, मोहन मरकाम सदस्य ने बस्तर जिले में टाटा मेगा स्टील प्लांट से प्रभावित किसानों के पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोवर्धन सिंह मांझी, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई।)

5. बहिर्गमन

ध्यानाकर्षण क्रमांक 01 पर चर्चा के दौरान श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

6. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

(2) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने इन्द्रावती नदी का पानी प्रदूषित होने की ओर नगरीय प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अमर अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति ने सूचित किया कि नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज दिनांक 21 मार्च, 2016 को उन्होंने सदन में 06 सूचनाएं लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की है।

निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जायेगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जायेगा :-

(1) श्री धनेन्द्र साहू
(2) श्री राजेन्द्र कुमार राय
(3) श्री श्रवण मरकाम
(4) श्री मोतीलाल देवांगन
(5) श्री संतराम नेताम
(6) श्री संतोष उपाध्याय

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गई :-

(1) श्री मोतीलाल देवांगन

(2) श्री बघेल लखेश्वर

9. शासकीय विधि विषयक कार्य

1. छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016)

श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव ने कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 1 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

2. छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 3 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

3. छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 4 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 4 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

4. छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 5 सन् 2016)

श्री अजय चंद्राकर, पंचायत मंत्री ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 5 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

5. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 7 सन् 2016)

श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री ने छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 7 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

6. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 8 सन् 2016)

श्री मोतीराम चंद्रवंशी, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 8 सन् 2016) पुर:स्थापित किया।

10. वर्ष 2016-2017 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

(1) श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने श्रम से संबंधित मांग संख्या 18 एवं खेल और युवक कल्याण से संबंधित मांग संख्या 43 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-18 पर श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम मांग संख्या-43 पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, दलेश्वर साहू, उमेश पटेल, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री रामदयाल उइके, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

11. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि आज बिलासपुर से लोकसभा सांसद श्री लखन लाल साहू अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। सदन द्वारा मेजों की थपथपाहट से उनका स्वागत किया गया।

12. वर्ष 2016-2017 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमश:)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री श्यामबिहारी जायसवाल, अरूण वोरा, चुन्नीलाल साहू(खल्लारी), दलेश्वर साहू,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री नवीन मारकण्डेय, मोहन मरकाम, रामलाल चौहान

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, डॉ. विमल चोपड़ा,

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने आग्रह किया कि अनुदान मांगों पर आदिम जाति कल्याण विभाग एवं माननीय मुख्यमंत्री के अनुदान मांगों पर चर्चा शेष है अत: दिनांक 22 मार्च को भी सभा की बैठक रखी जाय।

श्री अजय चंद्राकर संसदीय कार्य मंत्री ने सहमति व्यक्त की।

माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से श्री भूपेश बघेल, सदस्य एवं श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव व सदन की भावना के परिप्रेक्ष्य में मंगलवार दिनांक 22 मार्च, 2016 को सभा की बैठक होने एवं पूर्व निर्धारित प्रश्नकाल सहित अन्य कार्य होने की घोषणा की।

श्री देवजी भाई पटेल,

श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर देना प्रारंभ किया।

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री भईयालाल राजवाड़े, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 4.12 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 2016 (चैत्र - 2, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा